

बिहार सरकार,
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं०सं० 01/प्रशि०स्था०-13/2023.495/यु०रो०- पटना-01, दिनांक-12.10.2023
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300 दिनांक 13.10.2023
एवं अधिसूचना सं० 636 दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी
व्यवस्था के तहत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक संवर्ग के निम्नांकित
ग्रुप अनुदेशकों को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर में,
उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार
दिया जाता है:-

क्र०	ग्रुप अनुदेशक का नाम/गृह जिला /आरक्षण कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2023 के अनुसार)	वर्तमान कोटि/ पद	अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतन सहित) देने हेतु पद एवं वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री रंजीत कुमार खगड़िया/ पिछड़ा वर्ग	1001	ग्रुप अनुदेशक वेतन स्तर-7	उप प्राचार्य वेतन स्तर-9
2	श्री सैफुर रब मुजाहिद पटना/अनारक्षित	1181	ग्रुप अनुदेशक वेतन स्तर-7	उप प्राचार्य वेतन स्तर-9
3	श्री नित्यानंद कुमार नालन्दा/पिछड़ा वर्ग	1188	ग्रुप अनुदेशक वेतन स्तर-7	उप प्राचार्य वेतन स्तर-9
4	श्री राजेश पासवान पटना/अनु० जाति	1190	ग्रुप अनुदेशक वेतन स्तर-7	उप प्राचार्य वेतन स्तर-9
5	श्री गौतम कुमार नवादा/ पिछड़ा वर्ग	1195	ग्रुप अनुदेशक वेतन स्तर-7	उप प्राचार्य वेतन स्तर-9

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-
19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त अंकित सभी कर्मियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक
उनके नाम के सामने स्तंभ-05 में अंकित पद एवं वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।


4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ, पदभार ग्रहण करने की
तिथि से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विकास कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) / महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित पदाधिकारी / आई०टी० प्रबंधक, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12/01/26
सरकार के विशेष सचिव